

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

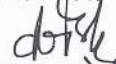
क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-130) अलेसे- I/

दिनांक:- 23-7-14

कार्यालय आदेश

श्री रामसुख गहलोत, सहायक लेखाधिकारी (लिंग नम्बर-4906) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पाली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जालौर में कार्यरत अवधि के दौरान की गयी वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीबद्ध अपराध संख्या 320/08 में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक(क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में श्री रामसुख गहलोत, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पाली को सीसीए नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री रामसुख गहलोत, सहायक लेखाधिकारी को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री गहलोत का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय पाली रहेगा, वे मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थिति अंकित करेंगे।

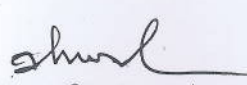

(वीरबाला जोशी)

निदेशक
(वीरबाला जोशी)
निदेशक, कोष एवं लेखा

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-130) अलेसे- I/ 2955-65

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर।
- 2 जिला कलक्टर पाली।
- 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।
- 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर/ सिरौही।
- 5 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पाली।
- 6 जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जालौर।
- 7 कोषाधिकारी, पाली को श्री रामसुख गहलोत के सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्री गहलोत को निलम्बन अवधि के दौरान दिनांक 31.07.14 को सेवानिवृत्ति पर कार्यमुक्त करें।
- 8 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 9 श्री रामसुख गहलोत, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पाली।
- 10 निजी सहायक निदेशक महोदया।
- 11 रक्षित पत्रावली / एसीआर शाखा / पदस्थापन सीट।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)